पत्रांक–15/एम 1–97/2020 ....
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० (प्रो0) रेखा कुमारी,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय, बिहार
(पटना विश्वविद्यालय, पटना को छोड़कर)

पटना, दिनांक–

विषयः शैक्षणिक सत्र 2024–27 के लिए स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों के संबंधन से संबंधित प्रस्ताव ऑनलाईन पोर्टल www.edusambandhan.bih.nic.in के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों के संबंधन के संबंध में पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध प्रस्ताव/अनुशंसा के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। इस संबंध में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को विभागीय पत्रांक–1962 दिनांक–15.09.2021 द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश संसूचित है।

आप अवगत है कि महाविद्यालयों के संबंधन के संबंध में राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, बिहार, पटना के पत्रांक–1179 दिनांक–25.04.2018 एवं CWJC No.-4660/2017 में दिनांक–26.04.2018 को पारित न्यायादेश में निर्धारित निम्नांकित कार्यक्रम एवं समय सीमा अंतर्गत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना है:–

Submission of Application Form	On or before 15th September
Constitution of Inspection Team	On or before 25th September
Inspection Team Report	On or before 8th October
Affiliation Committee Meeting	On or before 15th October
Academic Council	On or before 20th October
Syndicate	On or before 30th October
Senate	On or before 15th November
Final Report to the State Govt.	On or before 15th January

उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर निदेशानुसार आप सभी को निदेशित किया जाता है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की संगत धारा एवं राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिनियम पत्रांक–1098 दिनांक 19.04.1986, पत्रांक–3196 दिनांक–14.12.2017 एवं पत्रांक–3074 दिनांक–

20.10.2019 के आलोक में समीक्षोपरान्त अपने–अपने विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत स्नातक महाविद्यालयों के संबंधन संबंधी ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंसा को राज्यपाल सचिवालय/माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप विश्वविद्यालय के सभी सक्षम प्राधिकारों से अनुमोदनोपरान्त NIC द्वारा विकसित पोर्टल www.edusambandhan.bih.nic.in के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त निर्धारित कार्यक्रम एवं समय सीमा अन्तर्गत अपने–अपने विश्वविद्यालय के संबंधन प्रस्ताव को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। निम्न प्रकार के महाविद्यालय द्वारा भी उक्त पोर्टल पर आवेदन किया जायेगा।

1. वैसे सभी महाविद्यालय जो नव संबंधन हेतु पहली बार आवेदन कर रहे हो।
2. वैसे सभी महाविद्यालय जिनका प्रस्ताव शैक्षणिक सत्र 2023–26 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा ऑन–लाईन प्राप्त हुआ है। परन्तु वह प्रस्ताव राज्यपाल सचिवालय, बिहार/माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के पश्चात् प्राप्त होने अथवा उन प्रस्तावों में कुछ त्रुटि रहने अथवा अन्य कारणों से संबंधन की सहमति संसूचित नहीं किया जा सका है, उन महाविद्यालयों द्वारा भी आवेदन किया जायेगा।
3. सभी स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्य/सचिव द्वारा भी अपने महाविद्यालय के बारे में पोर्टल पर जाकर सारी वस्तुस्थिति/सूचनाओं को दिनांक–30.10.2023 तक निश्चित रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त सभी प्रक्रियाओं की मॉनेटरिंग के लिए संबंधित विश्वविद्यालय की पूर्ण जवाबदेही होगी। ऑनलाईन पोर्टल के संबंध में किसी भी प्रकार के तकनीकी पृच्छा के समाधान हेतु NIC की ओर से श्री सौरभ कुमार के मो०न०–9304921027 ई–मेल आई०डी० cabiharhelp@gmail.com तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के तरफ से श्री के० गोविन्द राजू, डाटा एनालिस्ट के मोबाईल नं० 9508912865 पर संपर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

ह०/–

(रेखा कुमारी)

निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापांक–15/एम 1–97/2020 .... पटना, दिनांक–........................

प्रतिलिपि–निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी उप निदेशक (उ०शि०)/प्रशाखा पदाधिकारी–14 एवं 15 तथा श्री के० गोविन्द राजू, डाटा एनालिस्ट, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापांक–15/एम 1–97/2020 3260. पटना, दिनांक–23.8.23

प्रतिलिपि:–श्री शैलेश श्रीवास्तव, उप महानिदेशक NIC Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23.08.23

निदेशक, उच्च शिक्षा